

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10798/2024

मनीष राठौर पुत्र मोहनलाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 18, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड, पाली। (वर्तमान में जिला जेल, पाली में बंद)

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विनीत कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री हर्षवर्धन सिंह राठौर के साथ।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री रमेश देवासी, पी.पी.

श्री ओम प्रकाश चौधरी के साथ।

डॉ. सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री दिनेश कुमार गोदारा (शिकायतकर्ता-रिंकी सिंह के लिए)।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

29/08/2024

1. पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला पाली में दर्ज एफआईआर संख्या 250/2024 के अनुसरण में गिरफ्तार, याचिकाकर्ता ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 483 बीएनएसएस (पुरानी संहिता की धारा 439) के तहत यह आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 327 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप है।

2. मैं वर्तमान याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। शिकायतकर्ता रंकी सिंह ने 14.05.2024 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि वह "कृष्णा थेरेपी" नामक एक स्पा का मालिक है। कुछ महीने पहले, याचिकाकर्ता स्पा में आया, एक पत्रकार होने का दावा किया और स्पा को जारी रखने के लिए शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये प्रति माह की मांग की। याचिकाकर्ता ने फिर स्पा का एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उसकी मांग पूरी न होने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने उसे कुल 20,000 रुपये दिए। 30,000/- दो महीने के लिए। हालांकि, कुछ दिन पहले, याचिकाकर्ता फिर से आया और मोबाइल फोन की मांग की, धमकी दी कि अगर शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं किया, तो वह स्पा को संचालित नहीं होने देगा। याचिकाकर्ता ने वीडियो को वायरल करने और समुदाय में शिकायतकर्ता को बदनाम करने की भी धमकी दी। शिकायतकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता स्पा में कोई अनैतिक या अवैध गतिविधि नहीं होने के बावजूद उससे पैसे वसूल रहा है और उसे अनुचित दबाव के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है।

3. सबसे पहले, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनीत कुमार जैन ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री हर्षवर्धन सिंह राठौर की सहायता से जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। वह 16.05.2024 से हिरासत में है और मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। याचिकाकर्ता ने पहले भी शिकायतकर्ता के

खिलाफ सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसलिए, वर्तमान एफआईआर याचिकाकर्ता पर मामले को निपटाने के लिए दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई प्रतीत होती है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है; याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। प्रस्तुतियों को समाप्त करते हुए, उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने विद्वान श्री सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान वकील श्री दिनेश कुमार गोदारा की सहायता से शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए याचिका का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकारिता की आड़ में लोगों को धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही और ब्लैकमेल कर रहा है। वह इस तरह के अपराध का आदतन अपराधी है और कई अन्य व्यक्तियों ने उसके खिलाफ इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके खिलाफ पाली शहर के विभिन्न थानों में कुल 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें से पांच मामले धन उगाही के हैं, जो सभी वर्ष 2024 में हुए हैं। याचिकाकर्ता इतना दुस्साहसी हो गया है कि उसने एक पुलिस निरीक्षक की आईडी भी हैक कर उसका दुरुपयोग किया है, जिससे पुलिस निरीक्षक ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। याचिकाकर्ता ने पाली शहर में कई लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल किया है, लेकिन आमतौर पर डर के कारण कोई भी आगे नहीं आता या एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता। याचिकाकर्ता पत्रकारिता के नाम का दुरुपयोग कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और अवैध कमाई का आदी हो गया है। उसकी अवैध गतिविधियां अभी भी जारी हैं और वह अब अपने पिता को शिकायतकर्ता के पास भेज रहा है ताकि वह समझौता करने के लिए दबाव बना सके। शिकायतकर्ता को

याचिकाकर्ता के पिता ने भी धमकाया है, जिसके चलते अलग से शिकायत दर्ज कराई गई है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह संभावना है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही अन्य गवाहों में मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ गवाही देने का साहस होगा। इससे याचिकाकर्ता का हौसला और बढ़ सकता है, जिससे नागरिकों के लिए अत्यधिक खतरा पैदा हो सकता है।

5. यह भी तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर बहुत सारे सबूत पेश किए गए हैं जो प्रथम दृष्टया आवेदक के अपराध की ओर इशारा करते हैं; उसके द्वारा किए गए कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। इसलिए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. प्रतिद्वन्द्वी प्रस्तुतियों पर गहन विचार करने तथा अभिलेख की जांच करने के पश्चात मैं स्पष्ट रूप से इस मत पर हूं कि याचिकाकर्ता पर शिकायतकर्ता से उसके स्पा सेंटर को बदनाम करने तथा उसके व्यवसाय को बर्बाद करने की धमकी देकर धन ऐंठने का आरोप है। यह आरोप है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपना वैध व्यवसाय चलाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपनी अवैध मांगों को जारी रखा, तथा शिकायतकर्ता को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने तथा व्यवसाय में व्यवधान पैदा करने की धमकी देकर विवश किया।

8. इसी प्रकार, पाली शहर में वर्ष 2024 में धन ऐंठने के संबंध में शिकायतकर्ता के विरुद्ध कुल पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। जिनमें

से प्रथम एफ.आई.आर. में एक व्यक्ति को उसके मकान के निर्माण को अवैध बताते हुए वीडियो के माध्यम से धमकी देकर धन ऐंठने का मामला है। दूसरी एफ.आई.आर. में एक व्यक्ति से उसके बजरी परिवहन को अवैध बताते हुए धन ऐंठने तथा मासिक भुगतान की मांग करते हुए, ऐसा न करने पर उसे बदनाम करने की धमकी देने का मामला है। तीसरी एफ.आई.आर. एक पुलिस इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता पर उसके आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करने और उसके बाद उसका रूप धारण करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

9. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ये पांच रिपोर्ट दर्ज करना केवल उदाहरण मात्र है, क्योंकि ऐसे मामलों में पीड़ित अक्सर डर और बदनामी की धमकी के कारण एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आते हैं। पीड़ितों को डर है कि जबरन वसूली करने वाला उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा या बदनाम करके बदला ले सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा या व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। लोग कानूनी कार्रवाई करने में खुद को शक्तिहीन या भयभीत महसूस करते हैं। नकारात्मक प्रचार का खतरा एक शक्तिशाली निवारक हो सकता है। पीड़ितों को चिंता है कि रिपोर्ट दर्ज करने से उनके व्यवसाय पर अवांछित ध्यान जाएगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, भले ही वे निर्दोष हों। कई पीड़ित परेशानी से बचने और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एफआईआर दर्ज करने से बचते हैं। ये कारक व्यक्तियों को जबरन वसूली की रिपोर्ट करने में अनिच्छा में योगदान करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि वे अपना व्यवसाय कानूनी रूप से कर रहे हैं।

10. एक आदतन अपराधी के लिए जमानत पर विचार करना, जिसने कई व्यक्तियों से बार-बार धन उगाही की है, के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता है। व्यवहार के पैटर्न और नागरिकों के लिए संभावित जोखिम को देखते हुए, न्याय सुनिश्चित करने और आगे के अपराधों को रोकने के लिए अधिक सतर्क

दृष्टिकोण आवश्यक है। याचिकाकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो पत्रकारिता के नाम पर एक विशेष तरीके से जनता के सदस्यों से आपराधिक धमकी और धन उगाही का आदतन अपराधी है और उसने कई अपराध किए हैं। आपराधिक व्यवहार का उसका स्थापित पैटर्न कानूनी परिणामों की उपेक्षा का सुझाव देता है। इस तरह के आदतन अपराधी को जमानत पर रिहा किए जाने पर उसके दोबारा अपराध करने की संभावना है। उसने पहले दी गई जमानत के लाभ का दुरुपयोग किया है। बार-बार कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति न्यायालय का नरम होना कानूनी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम कर देगा।

11. थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली के एसएचओ द्वारा शिकायतकर्ता के पिता के विरुद्ध धारा 126 और 135 के तहत शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसके तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपने पिता के माध्यम से शिकायतकर्ता को धमकाया है और समझौता करने के लिए दबाव डाला है तथा भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने गवाहों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित करके या अन्यथा न्याय में बाधा डालकर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। ये सभी कारक सामूहिक रूप से याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कारण बनते हैं।

12. केवल यह तथ्य कि आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विचारणीय है, आरोपी को जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जमानत निर्धारित करते समय अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य, (2010) 14 एससीसी 496 के मामले में कई उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को स्पष्ट किया:

“9. हालांकि, उच्च न्यायालय पर भी यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में निर्धारित मूल सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखने वाले कारक हैं:

(i) क्या यह मानने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता।

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता।

(iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा।

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और प्रतिष्ठा।

(vi) अपराध के दोबारा होने की संभावना।

(vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका।

(viii) जमानत दिए जाने से न्याय के विफल होने का खतरा।”

13. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो न तो इस मामले का शिकायतकर्ता और न ही किसी अन्य एफआईआर का शिकायतकर्ता ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य देने का साहस करेगा। ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता का मनोबल और भी बढ़ जाएगा।

14. मेरा विचार है कि इस मामले में आरोप की प्रकृति और गंभीरता, याचिकाकर्ता की भूमिका, आवेदक के पूर्ववृत्त और याचिकाकर्ता के खिलाफ

स्थापित मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं पाया गया है।

15. इन विचारों और उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा विचार है कि आरोपी अपने पक्ष में जमानत के लिए मजबूत मामला बनाने में विफल रहा है। इसलिए, जमानत आवेदन कानून के तहत पूरी तरह से गलत है, इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार खारिज किया जाता है। उपरोक्त टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।